भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 596

जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

गैर-कोयला खदानों में दुर्घटनाएँ

596. श्री तनुज पुनियाः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गैर-कोयला खदानों में दुर्घटनाओं में पहचाने गए सामान्य कारकों का ब्यौरा क्या है और उनका समाधान किस प्रकार किया जा रहा है; और

(ख) सरकार द्वारा 'रैट होल' खनन जैसी अवैध खनन प्रथाओं को समाप्त करने और उन क्षेत्रों में खनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जहां ये पद्धतियां प्रचलित हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया है कि गैर-कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं में पहचाने गए सामान्य कारक साइडों का गिरना, छत का गिरना, ऊंचाई से व्यक्तियों का गिरना, परिवहन मशीनरी (वाइन्डिंग और रोप हॉलेज), पहिएदार ट्रैकलेस मशीनरी, से टक्कर लगना और कुचला जाना, विस्फोटक और ब्लास्टिंग आदि हैं।

केंद्र सरकार ने कोयला खानों सहित खान कामगारों की व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए खान अधिनियम, 1952 अधिनियमित किया है। इस अधिनियम में प्रशिक्षण, संरक्षात्मक उपकरण, चिकित्सा जांच आदि का प्रावधान है। खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) को खान कामगारों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए खान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए खानों के निरीक्षण का कार्य सौंपा गया है। तदनुसार, डीजीएमएस ने खानों में होने वाली मौतों को कम करने तथा उनमें कार्यरत कामगारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं के कारणों तथा परिस्थितियों का पता लगाने के लिए नियमित जांच करना, खानों का नियमित निरीक्षण करना, मानक प्रोटोकॉल तैयार करना, खानों में सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना, सुरक्षा

सप्ताह मनाना, अभियान चलाना, जागरूकता फैलाना आदि शामिल हैं।

(ख) : रैट होल खनन जैसा अवैध खनन कानून और व्यवस्था का मुद्दा है और संबंधित राज्य प्राधिकरणों के कार्यक्षेत्र में आता है। खान मंत्रालय ने सूचित किया है कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 की धारा 23ग राज्य सरकार को खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने तथा उससे जुड़े प्रयोजनों के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। अतः अवैध खनन को रोकने की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकार की है। केन्द्र सरकार समय-समय पर नीतिगत पहलों के माध्यम से इन प्रयासों का समर्थन और इनका संवर्धन करती है। अवैध खनन को रोकने और नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं:

(i) खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 को एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 के माध्यम से संशोधित किया गया था, जो दिनांक 12 जनवरी, 2015 से लागू हुआ था। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ धारा 21 और 23ग के साथ पठित धारा 30ख और 30ग में अन्य बातों के साथ-साथ अवैध खनन को रोकने के लिए कड़े दंडात्मक प्रावधान हैं।

(ii) खनिज संरक्षण और विकास नियम (एमसीडीआर) 2017 के नियम 45 में खनन प्रक्रिया के वैज्ञानिक प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उपायों का प्रावधान है। यह देश में उत्पादित सभी खनिजों के पिट हैड से लेकर अंत्य उपयोग तक एंड-टू-एंड राष्ट्रीय स्तर पर लेखांकन की सुविधा प्रदान करता है, जिससे अवैध खनन, रॉयल्टी की चोरी आदि की संभावना कम हो जाती है।

(iii) भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) (मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय) ने चयनित खानों के समूह की तुलना में एक समयावधि में खनन कार्यकलापों/परिवर्तनों की निगरानी में हाई-रेजोल्यूशन उपग्रह इमेजरी और डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम) का प्रयोग करने की व्यवहार्यता प्रदर्शित करने के लिए ''सुदूर दृष्टि'' एक प्रायोगिक परियोजना हेतु राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

(iv) खान मंत्रालय ने अक्टूबर 2016 में खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) लॉन्च की है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा अवैध खनन की घटनाओं का पता लगाने और अवैध खनन की घटनाओं को रोकने के लिए पट्टा सीमा के बाहर 500 मीटर तक के क्षेत्र की निगरानी के लिए एक प्रणाली विकसित करना है। यदि विसंगतियों का पता चलता है, तो चेतावनियां तैयार की जाती हैं और जमीनी सत्यापन के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेजी जाती हैं।

****